भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1140

उत्तर देने की तारीख-30/07/2025

वैदिक ज्योतिष में वास्तविक अध्ययन और शोध

1140 **डा. अजित माधवराव गोपछड़े:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मुंबई उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि ज्योतिष एक विज्ञान है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) मंत्रालय द्वारा वैदिक ज्योतिष में वास्तविक अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और खगोल विज्ञान के लिए एक स्थायी सलाहकार बोर्ड की स्थापना के लिए क्या कार्रवाई की गई है या प्रस्तावित है; और
(ग) तेजी से बढ़ रहे ज्योतिष क्षेत्र की निगरानी करने और धोखेबाज ज्योतिषियों, विशेष रूप से ऑनलाइन ज्योतिष परामर्श प्रदान करने वाले ज्योतिषियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी संबंधी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर मंत्रालय द्वारा कौन-कौन सी पहल की गई हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): भारतीय संविधान के अनुसार, शिक्षा समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषय है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को शैक्षिक मामलों पर कानून बनाने का अधिकार देता है।

भारत सरकार शैक्षणिक, अनुसंधान और सांस्थानिक उपायों के माध्यम से वैदिक विज्ञान सहित भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने ज्योतिष और वैदिक गणित सहित भारतीय विरासत और संस्कृति पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु दिशानिर्देश तैयार किए हैं और सभी उच्चतर शिक्ष संस्थाओं (एचईआई) से दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है।

शिक्षा मंत्रालय ने अगले दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2030 तक पाँच वर्षों के लिए 405.78 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना "भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस)" को अनुमोदित कर दिया है। आईकेएस योजना के अंतर्गत, पंचांग गणनाओं और कैलेंडर प्रणालियों में सुधार हेतु प्रेक्षणात्मक खगोल विज्ञान (दृक ज्योतिष) और मॉडल आधारित खगोल विज्ञान (सिद्धांत ज्योतिष) में विभिन्न शोध परियोजनाओं और प्रशिक्षुतावृत्ति को सहायता दी गई है।

भारत सरकार ने वर्ष 2024-31 की अवधि के लिए भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत को संरक्षित, प्रलेखित और प्रसारित करने हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना "ज्ञान भारतम मिशन" को ₹482.85 करोड़ के कुल आवंटन के साथ मंजूरी दी है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान (एआरआईईएस) सहित अपने सहायताप्राप्त संस्थानों के माध्यम से खगोलीय अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

आईटी नियम, 2021 में मध्यस्थ प्लेटफार्मों पर किसी भी निषिद्ध जानकारी का प्रसार, साझाकरण, अपलोडिंग, प्रसारण आदि की अनुमति नहीं देने का दायित्व सौंपा गया हैं, जिसमें भारतीय इंटरनेट पर भ्रामक सूचना और स्पष्ट रूप से झूठी जानकारी या किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने वाली जानकारी शामिल है।

*****